Agriculture and Rural Development (NABARD) and the amounts sanctioned to cooperative banks in the State of Maharashtra are given belows:

(Rs. in crores)

	Maharash-tra State Coopera-tive Bank	Maharash-tra State Land De-velopment Bank
Claims lodged	377.56	111.38
Amount sanctioned (Grant + Loan)	343.88	100.24
Banlance to be settled	33.68	11.14

'NABARD have advised the Cooperative Banks to submit revised/final claims after excluding the relief provided by them to ineligible borrowers. Release of the balance amount to banks would be considered by NABARD only after receipt of the same from the banks.

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड का समापन

2706 **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को समाप्त करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है,

(ग) क्या बैंकों में भर्तियों के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड/स्केल-1, विशेषज्ञ अधिकारियों तथा लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की सीधी भर्ती, 15 बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों तथा एक केन्द्रीय भर्ती बोर्ड, जो देश के विभिन्न भागों में स्थित है, के माध्यम से की जा रही है। वित्तीय प्रणालियों पर नरसिंहम समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि अधिकारियों के लिए एक समान भर्ती प्रणाली की बजाय प्रत्येक बैंक अपनी भर्ती करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और जहां तक लिपिकीय संवर्ग का संबंध है, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की वर्तमान प्रणाली बनी रहनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, श्री डी० आर० मेहता की अध्यक्षता में बनी एक समिति इस समय सरकारी क्षेत्र की बैंकों की भर्ती पद्धतियों और तरीकों की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश की रुग्ण इकाइयों को सहायता

2707. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की रुग्ण इकाइयों को कोई सहायता नहीं दी है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

(ग) यदि सहायता दी गयी है तो गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश की रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को दी गयी सहायता राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) उत्तर प्रदेश को दी गयी सहायता का जिलावार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनी विशेष उपबंध अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) के उपबंधों के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरुज्जीवन के लिए वित्तीय सहायात वित्तीय संस्थानों, बैंकों, केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। एस आई सी ए के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों को बी आई एफ आर से सीधे वित्तीय सहायात देने का प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Supreme Court ruling on excise duty

2708. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent ruling given in April, 1994 by